न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 115/2018

1 देशराज दतक पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह जाति राजपूत उम्र 36 साल निवासी बाडलवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 कृष्णसिंह पुत्र स्व. महताब सिंह जाति राजपूत उम्र 42 साल निवासी बाडलवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल आश्रम छापड़ा पो. छापड़ा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
2 श्रीमती रतन कंवर पत्नी स्व. महताबसिंह
3 सुरेन्द्र पुत्र स्व. महताब सिंह जातिगण राजपूत निवासीगण बाडलवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल आश्रम छापड़ा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़।
4 मदनसिंह पुत्र श्रीरोतान सिंह
5 ओमप्रकाश सिंह पुत्र श्रीरोतान सिंह
6 श्रीमती सज्जनकंवर बेवा स्व. श्री रोतानसिंह (नाम हजफ दिनांक 08.03.2022) जाति राजपूत निवासी बाडलवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
7 श्रीमती रेवती पत्नी श्री अमरसिंह जाति गुर्जर निवासी ढाणी बिसनावाली तन नायन तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ जिला हरियाणा।
8 श्रीमती औमवती पत्नी श्री सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी बाडलवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बखिलाफ निर्णय दिनांक 24.07.2018 उनवानी देशराज
बनाम कृष्णसिंह वगै. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी मु.नं. 14/2009, 23/2018

उपस्थिति :

1. श्री मदनसिंह गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 6/3/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 14/2009, 23/2018 में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद घोषणात्मक खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 299, 331, 332, 427 वाके ग्राम बाडलवास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलार्थी को नारायण सिंह ने 2003 में अपीलार्थी की 7–8 साल आयु में गौद ले लिया था रेस्पोडेन्ट कृष्णसिंह, नारायण सिंह के कभी गोद नहीं हुआ उसने फर्जी गौदनामा बनवा लिया था अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट कृष्णसिंह के हक में बनाये गौदनामा बाबत न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट के समक्ष दावा प्रस्तुत किया था जिसमें स्व. नारायण सिंह ने इस तथ्य को स्वीकारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (झुन्झुनूं)

था कि उसने कृष्णसिंह को कभी गौद नहीं लिया। गौदनामा का पंजीयन होना आवश्यक नहीं है, जब नारायण सिंह ने अपीलार्थी को गौद ले लिया इस सुरत में अन्य व्यक्ति को गौद लेने का प्रश्न ही नही उठता। रेस्पोडेन्ट कृष्णसिंह साधु सन्यासी हो गया है वो ग्रहस्थ त्याग चुका है उस पर हिन्दु उत्तराधिकार के प्रावधान लागु नहीं होत है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 कृष्णसिंह ने गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर अपना 1/3 हिस्सा दर्शाते हुए रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 औमवती के हक में विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया औमवती अपीलार्थी के परिवार के लिए अजनबी है विक्रय पत्र के आधार पर औमवती अपीलार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा करने क अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय ने नारायण सिंह के इकबाली जवाबदावा प्रदर्श–7 पर गौर नहीं करने में कानूनी गलती की है। विवादित गोदनामा के आधार पर विचारण न्यायालय अपीलार्थी का वाद खारिज करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय एवं डिक्री विचारण न्यायालय दिनांक 24.07.2018 खारिज फरमाई जाकर वादपत्र की सिद्धिया अपीलार्थी के हक में डिक्री फरमाई जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि जमाबंदी संवत 2056–59 (प्रदर्श–1) खाता संख्या 111 के कुल खसरा किता 11 कुल रकबा 7.50 हैक्टेयर भूमि महताब सिंह रोतान सिंह नारायण सिंह पि गणपत सिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है अर्थात उक्त विवादित भूमि में तीन भाइयों की खातेदारी थी। नारायण सिंह के कोई पुत्र या पुत्री संतान नहीं होने पर नारायण सिंह ने अपने भाई महताब सिंह के पुत्र कृष्ण सिंह प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 12.05.1994 को गोद ले लिया था जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध गोदनामा से होती है। तत्पश्चात उक्त गोदनामा को चुनौति देने के लिए देशराज दत्तक पुत्र नारायण सिंह के माननीय न्याालय मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय खेतड़ी के यहां एक वाद पत्र उनवानी देशराज बनाम नारायण सिंह आदि बाबत निरस्त करने गोदनामा दिनांक 12.05.1994 पेश किया था जो पत्रावली पर प्रदर्श–6 मौजूद है। उक्त दावा में प्रतिवादी संख्या 1 नारायण सिंह ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया था जो प्रदर्श–7 है। परन्तु उक्त उनवानी सिविल वाद का गुणावगुण के आधार पर अंतिम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

निर्णय नहीं हुआ बल्कि उक्त वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गया (प्रदर्श–5) है। स्व. नारायण सिंह द्वारा दिनांक 12.05.1994 को करवाया गया गोदनामा दत्तक पुत्र कृष्ण सिंह का कानून की दृष्टि से सही है। उक्त गोदनामा दिनांक 12.05.1994 वैध होने से वाद वादी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत 2056–59 (प्रदर्श–1) खाता संख्या 111 के कुल खसरा किता 11 कुल रकबा 7.50 हैक्टेयर भूमि महताब सिंह रोतान सिंह नारायण सिंह पि गणपत सिंह कौम राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है अर्थात उक्त विवादित भूमि में तीन भाइयों की खातेदारी थी। नारायण सिंह के कोई पुत्र या पुत्री संतान नहीं होने पर नारायण सिंह ने अपने भाई महताब सिंह के पुत्र कृष्ण सिंह प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 12.05.1994 को गोद ले लिया था जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध गोदनामा से होती है। तत्पश्चात उक्त गोदनामा को चुनौति देने के लिए देशराज दत्तक पुत्र नारायण सिंह के माननीय न्याालय मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय खेतड़ी के यहां एक वाद पत्र उनवानी देशराज बनाम नारायण सिंह आदि बाबत निरस्त करने गोदनामा दिनांक 12.05.1994 पेश किया था जो पत्रावली पर प्रदर्श–6 मौजूद है। उक्त दावा में प्रतिवादी संख्या 1 नारायण सिंह ने इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया था जो प्रदर्श–7 है। परन्तु उक्त उनवानी सिविल वाद का गुणावगुण के आधार पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ बल्कि उक्त वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो गया (प्रदर्श–5) है। स्व. नारायण सिंह द्वारा दिनांक 12.05.1994 को करवाया गया गोदनामा दत्तक पुत्र कृष्ण सिंह का कानून की दृष्टि से सही है। उक्त गोदनामा दिनांक 12.05.1994 वैध होने से वाद वादी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6/3/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर